कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 380 /14-1 बिजनौर, दिनांक, अगस्त , 10 , 2016।

सेवा में,

सेल्स आफिसर,
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
नजीबाबाद, बिजनौर।

विषयः— जनपद बिजनौर में अफजलगढ़–कालागढ़ मार्ग किमी0 6.389 की बायी पटरी पर ग्राम अजीमुल्लानगर के गाठा संख्या 449 में इण्डियन आयॅल कारपोरेशन लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटैल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध में।

संदर्भः— उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या पी–101/14–2–2016–800(99)/2016 दिनांक 29–07–2016।

महोदय,

पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 एफ0एन0 सं0–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11–07–2014 व एफ0एन0 सं0–11–09/98 एफसी, दिनांक 21–08–2014 के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में जनपद बिजनौर में अफजलगढ़–कालागढ़ मार्ग किमी0 6.389 की बायी पटरी पर ग्राम अजीमुल्लानगर के गाठा संख्या 449 में इण्डियन आयॅल कारपोरेशन लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटैल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु आनलाइन उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तो की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एंव निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एंव राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24–07–2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।

(2) सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साईन एंव मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।

(3) फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा संपर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एंव अन्य रिक्त स्थानो पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।

(5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा।

(6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित हैं।

(7) प्रभावित वन भूमि 0.0591 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य 7.30 लाख प्रति हे0 के दर से रू0 43,143.00 (रू0 तैतालिस हजार एक सौ तैतालिस मात्र) का CORP0000633 Account no.150900THERS 178052016415 Corporation Bank FCS Banglore 21/1,3rd Floor jalita Towers Mistion Road Banglore-560027 में E-portal के माध्यम से E-portal Slip मूल में अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित करें।

(8) उपरोक्त आदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25320, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(9) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

(10) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(11) प्रस्तावक विभाग परियोजना के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।

(12) प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(13) प्रस्तावक विभाग के संबधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियो के अधीन या उनसे संबधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन संपदा को क्षति नही पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियो से वन संपदा को कोई क्षति पहुंचती हैं तो उसके लिए संबधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(14) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अंदर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(15) भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007.एफसी0(पीटी), दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र सं0–J-1103/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैन्डिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(16) उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो/शर्तो, जो वनो के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेंकिग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0वी0पी0 संशोधित होती हैं तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित हैं। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित हैं, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं।

(20) संबधित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित हैं।

(21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त दावो का निस्तारण किया जा चुका हैं।

(22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयो द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(24) इस संबध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(25) पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98.एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओ का विशेष डाटा (shp) फाइल मे दर्शाया हो।

(26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र सं0– एफ0एन0 सं0–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11–07–2014 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।

(27) प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रख–रखाव किया जायेगा।

(28) क्षतिपूरक वृक्षारोपण 100 वृक्षों का सामान्य वृक्षारोपण दस वर्षो तक रख–रखाव सहित रू0 93,500.00 (रू0 तिरानवे हजार पॉच मात्र) का उ0प्र0 कैम्पा आई0एफ0सी0 कोड CORP0000633 Account no.150900THERS 178052016415 Corporation Bank FCS Banglore 21/1,3rd Floor jalita Towers Mistion Road Banglore-560027 में e-payment portal slip के माध्यम से जमा कर e-payment portal slip अनुपालन आख्या के साथ में संलग्न करे।

(29) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत संबधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही हैं एंव आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा **एक सप्ताह** के अन्तर्गत किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु संस्तुति की जायेगी।

भवदीय,

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

पत्रांक 380 / 1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी नगीना।

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर